प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 895/2001

कृषि उपज मंडी समिति

बनाम

पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रायपुर एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 22 सितम्बर, 2009 को आदेश उद्घोषित किए जाने हेतु सूचीबद्ध

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

दिनांक 19-9-2009

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 895/2001

याचिकाकर्ता: कृषि उपज मंडी समिति

बनाम

उत्तरवादीगण: पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रायपुर एवं अन्य

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थित: याचिकाकर्ता द्वारा श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ सुश्री मीरा जायसवाल, अधिवक्ता।
उत्तरवादी द्वारा श्री पी.के.सी. तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री शशि भूषण, अधिवक्ता उत्तरवादी संख्या 2 की ओर से।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आदेश

(दिनांक 22 सितम्बर, 2009 को पारित)

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन यह याचिका दिनांक 17 मार्च, 2001 के आदेश (अनुलग्नक - पी/6) से उदभूत हुई है जो श्रम न्यायालय, रायपुर द्वारा प्रकरण संख्या 122/आई.डी. एक्ट रेफ./95 में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में "अधिनियम, 1947") के प्रावधानों के अधीन पारित किया गया था, जिसके द्वारा उत्तरवादी संख्या 2 - प्रभाकर राव बोकड़े को दिनांक 29 दिसम्बर,

1989 से सेवा मे बहाली तक पूर्ण बकाया वेतन के साथ सेवा में बहाल किया गया था, जो बीच में भुगतान की गई राशि को काटने के बाद था।

2. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि विवाद दिनांक 29 दिसम्बर, 1989 के निर्देश (अनुलग्नक - पी/1) के अनुसरण में उत्पन्न हुआ था जिसमें उत्तरवादी संख्या 2 ने दिनांक 25 मार्च, 1996 (अनुलग्नक - पी/2) को दावे का कथन दायर किया था। चूंकि श्रम न्यायालय के पास निर्देश की तारीख पर कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए मामला छह वर्षों तक अर्थात् 1989 से 1995 की अवधि के लिए लंबित रखा गया था। याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 1993 (अनुलग्नक - पी/3) को लिखित कथन दायर किया गया था। सुनवाई के बाद, विद्वान श्रम न्यायालय ने दिनांक 17 मार्च, 2001 (अनुलग्नक - पी/6) को उत्तरवादी संख्या 2 के दावे को स्वीकार किया और उत्तरवादी संख्या 2 को दिनांक 29 दिसम्बर, 1989 से बकाया वेतन के साथ सेवा में बहाली का निर्देश दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तरवादी संख्या 2 को अस्थायी आधार पर, मस्टर रोल कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था, क्योंकि कोई स्वीकृत पद नहीं था और इस प्रकार, बकाया वेतन 1989 से 1995 तक प्रदान नहीं किया जा सकता, क्योंकि दावे का कथन केवल दिनांक 25 मार्च, 1996 को दायर किया गया था जबकि निर्देश दिनांक 29 दिसम्बर, 1989 को किया गया था। इस प्रकार, उत्तरवादी

संख्या 2 को पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाली का निर्देश देने वाला अधिनिर्णय गलत है। इसलिए, यह याचिका।

4. श्री अग्रवाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ सुश्री मीरा जायसवाल, अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि श्रम न्यायालय द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उत्तरवादी संख्या 2 को वर्ष 1990 में सेवा में बहाल किया गया था और इस प्रकार, प्रथम निर्देश दिनांक 29 दिसम्बर, 1989 निष्फल हो गया था। इस प्रकार, निर्देश केवल 1989-90 की अवधि के लिए बकाया वेतन के अनुदान के संबंध में था। श्रम न्यायालय ने वर्ष 1993 में और वर्ष 1996 में उत्तरवादी संख्या 2 की हटाने के संबंध में दिनांक 29 दिसम्बर, 1989 के निर्देश में निराकरण किया है, जो अवैध और अधिकार रहित है। यद्यपि उत्तरवादी संख्या 2 को इसके पश्चात् वर्ष 1990 में सेवा में बहाल किया गया था, श्रम न्यायालय ने दिनांक 29 दिसम्बर, 1989 से बहाली तक बकाया वेतन प्रदान करने के लिए उस अवधि के दौरान भुगतान की गई राशि को समायोजित करने के बाद अत्यंत असामान्य तरीके से आदेश पारित किया है।

5. दूसरी ओर, श्री तिवारी विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री शशि भूषण अधिवक्ता ने उत्तरवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 29 दिसम्बर, 1989 से बकाया वेतन का अनुदान सही था, क्योंकि निर्देश यह था कि दावे की लंबित रहने के दौरान जब उत्तरवादी संख्या 2 कार्य में लगा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

हुआ था और वर्ष 1993 में हटाया गया था, तो उस दौरान किए गए भुगतान को समायोजित करना था। उत्तरवादी संख्या 2 को जून, 1985 के महीने में ड्राइवर के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किया गया था। तथा दिनांक 3 जून, 1989 के आदेश द्वारा उत्तरवादी संख्या 2 की सेवा को बिना किसी अवसर दिए या कोई छंटनी मुआवजा प्रदान किए समाप्त कर दिया गया था। स्वीकार्य रूप से, उत्तरवादी संख्या 2 को पुनः दिनांक 1 जनवरी, 1990 को कार्य में लगाया गया और दिनांक 9 जून, 1993 को उसकी सेवा समाप्त किया गया। पुनः दिनांक 27 जनवरी, 1994 को उत्तरवादी संख्या 2 को बिना बकाया वेतन के सेवा में बहाल किया गया। अधिनिर्णय में इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं है कि उत्तरवादी संख्या 2 को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। अधिनिर्णय के अनुसरण में, उत्तरवादी संख्या 2 को दिनांक 18 मई, 2001 को सेवा में बहाल किया गया और वह सेवानिवृत्ति की आयु अर्थात् 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बना रहा। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश न्यायसंगत, उचित है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, अभिवचनों और उसमें संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

7. यह पाया गया है कि दिनांक 29 दिसम्बर, 1989 को दिनांक 3 जून, 1989 को उत्तरवादी संख्या 2 को सेवा से हटाने के संबंध में निर्देश किया गया था "कि

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

क्या उत्तरवादी संख्या 2 को सेवा से हटाना वैध और उचित था, यदि नहीं तो अनुतोष के अनुदान के संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिया जा सकता है।" दिनांक 29 दिसम्बर, 1989 के निर्देश में दावे का कथन दिनांक 25 मार्च, 1996 को दायर किया गया था। दावे के कथन का उत्तर याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 21 सितम्बर, 1996 को दायर किया गया था। याचिकाकर्ता ने अपने उत्तर में विशेष रूप से कहा था कि चूंकि दिनांक 3 जून, 1989 को सेवा से हटाने के संबंध में निर्देश के बाद उत्तरवादी संख्या 2 को दिनांक 1 जनवरी, 1990 को सेवा में नियुक्त किया गया है, इसलिए निर्देश निष्फल हो गया है। नियुक्ति के बाद पश्चातवर्ती पदयुक्ति के संबंध में कोई द्वितीय निर्देश नहीं था। इस प्रकार, उत्तरवादी संख्या 2 का दावा खारिज किया जाना चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. श्रम न्यायालय द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2001 को पारित आक्षेपित आदेश के परिशीलन जिसमे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उत्तरवादी संख्या 2 को दिनांक 27 जनवरी, 1994 को अस्थायी आधार पर बहाल किया गया था। 1985 से 1989 तक उसकी नियुक्ति के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं था। इसके पश्चात् दिनांक 1 जनवरी, 1990 से दिनांक 9 जून, 1993 तक और इस प्रकार, श्रम न्यायालय उत्तरवादी संख्या 2 की नियुक्ति की प्रकृति तय करने में असफल रहा है। जब याचिकाकर्ता प्रबंधन ने अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से कहा है कि उत्तरवादी संख्या 2 को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था यद्यपि भुगतान मासिक किया जाता

था और जब उसकी सेवाओं की आवश्यकता होती थी तो उसे लगाया जाता था और इसके बाद दिनांक 3 जून, 1989 को उसे हटा दिया गया क्योंकि उसकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद, जब उत्तरवादी संख्या 2 की सेवा की फिर से आवश्यकता हुई, तो उसे दिनांक 1 जनवरी, 1990 को लगाया गया और इसके बाद समाप्त किया गया और इस प्रकार, उत्तरवादी संख्या 2 अस्थायी आधार पर था।

9. श्रम न्यायालय ने इस मुद्दे पर निर्णय लिए बिना कि क्या दिनांक 29 दिसम्बर, 1989 का निर्देश का प्रभाव बाद के विकास पर भी पड़ेगा । ऐसा प्रतीत होता है कि श्रम न्यायालय ने क्षेत्राधिकार पर विचार नहीं किया है और अपने विवेक का प्रयोग किये बिना बकाया वेतन के साथ बहाली प्रदान की है। स्वीकार्य रूप से श्रम न्यायालय ने निर्देश से आगे जाकर अपने क्षेत्राधिकार से अधिक किया है, क्योंकि निर्देश केवल दिनांक 29 दिसम्बर, 1989 के निर्देश द्वारा दिनांक 3 जून, 1989 की सेवा की हटाने के संबंध में था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. जहाँ तक उत्तरवादी संख्या 2 की बाद की बहाली, हटाने और पुनः बहाली का संबंध है, यह प्रथम निर्देश दिनांक 29 दिसम्बर, 1989 का विषय नहीं था। याचिकाकर्ता प्रबंधन द्वारा उत्तरवादी संख्या 2 की बहाली और हटाने को देखते हुए, यह प्रतीत होता है कि उत्तरवादी संख्या 2 की नियुक्ति अस्थायी आधार पर थी। यहाँ तक कि दिनांक 26 अप्रैल, 1976 के आदेश (अनुलग्नक - आर 2/1) से भी

जो उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा स्वयं दायर किया गया है, यह प्रतीत होता है कि उसे अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता की नियुक्ति उचित चयन के बिना थी और यह अवैध थी क्योंकि नियुकित संविधान की नियुक्ति योजना के विपरीत की गई थी। (देखें **कर्नाटक राज्य सचिव और अन्य बनाम उमा देवी (3) और अन्य**[1])। उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा दायर नियुक्ति आदेश निम्नलिखित है:

> "श्री प्रभाकर राव बोकड़े आत्मज श्री कृष्णा राव, ग्राम पिटियाहार की नियुक्ति दिनांक 26.4.1976 पूर्वाह्न से समिति के अधीन चालक के पद पर निश्चित वेतनमान 228-00 रूपये प्रतिमाह एवं समिति की ओर से स्वीकृत यात्रा भत्ता पर पूर्णतः अस्थायी रूप से की जाती है। कार्य संतोषजनक न होने या किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने, आचरण ठीक न होने पर उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना दिये किसी समय भी पद मुक्त किया जा सकता है परन्तु यदि वे स्वयं त्यागपत्र देना चाहें तो उनके द्वारा कार्यालय को एक माह पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा अन्यथा एक माह का वेतन। नियुक्ति तिथि से एक सप्ताह के भीतर किसी स्थानीय प्रतिष्ठित एवं शोधक्षम व्यक्ति का 2000-00 (दो हजार रूप्ये) का लिखित जमानत प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, इसके अभाव में कर्मचारी को समिति की सेवा में रखा जाना संभव नहीं होगा।"

11. श्रम न्यायालय ने यह भी माना है कि उत्तरवादी संख्या 2 को दिनांक 27 जनवरी, 1994 को अस्थायी आधार पर बहाल किया गया था। मामले के तथ्यों

[1] (2006) 4 SCC 1

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

और परिस्थितियों के तहत, मैं उत्तरवादी संख्या 2 के इस कथन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि वह स्थायी आधार पर नियुक्त था, क्योंकि इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उसे स्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। चूंकि उत्तरवादी संख्या 2 को दिनांक 17 मार्च, 2001 के आदेश के अनुसरण में सेवा में बहाल किया गया और वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बना रहा, इसलिए बहाली के आदेश की वैधता का प्रश्न अकादमिक (प्रशासनिक) हो गया है। मैं इस स्तर पर उक्त मुद्दे की जांच करने का प्रस्ताव नहीं करता। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क को अस्थायी कर्मचारियों के मामले में 100% बकाया वेतन के अनुदान तक सीमित रखा है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. उच्चतम न्यायालय ने **तलवाड़ा सहकारी क्रेडिट सेवा समिति लिमिटेड बनाम सुशील कुमार**[2] में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

"11. बहाली के अनुतोष का अनुदान, यह सर्वविदित है, स्वतः प्रवृत नहीं होता है । बकाया वेतन का अनुदान भी स्वतः प्रवृत नहीं होता है। औद्योगिक न्यायालय, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 11-ए के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय इस प्रकार की स्थिति में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। उक्त प्रयोजन के लिए, कुछ संगत कारक, उदाहरण के लिए, सेवा की प्रकृति, भर्ती का तरीका और ढंग अर्थात् क्या नियुक्ति

[2] AIR 2008 SCW 6532

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के संबंध में वैधानिक नियमों के अनुसार की गई थी, आदि पर विचार किया जाना चाहिए।

बकाया वेतन के अनुदान के प्रयोजन के लिए, एक संगत कारक निर्विवाद रूप से यह होगा कि क्या कामगार यह सिद्ध करने में सक्षम था कि उसकी सेवा की समाप्ति के बाद वह लाभकारी रूप से नियुक्त नहीं हुआ था।

इस संबंध में कुछ अन्य संगत कारकों को इस न्यायालय द्वारा हरियाणा रोडवेज बनाम रुद्धन सिंह [(2005) 5 एससीसी 591] में देखा गया है, जिसमें कहा गया है:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"8. कोई अंगुष्ठ नियम नहीं है कि हर मामले में जहाँ औद्योगिक न्यायाधिकरण यह निष्कर्ष देता है कि सेवा की समाप्ति अधिनियम की धारा 25-एफ का उल्लंघन थी, पूरा बकाया वेतन दिया जाना चाहिए। विभिन्न कारक जैसे चयन और नियुक्ति के तरीके और पद्धति अर्थात् क्या रिक्ति के उचित विज्ञापन के बाद या रोजगार कार्यालय से आवेदन आमंत्रित करने के बाद, नियुक्ति की प्रकृति, अर्थात्, क्या तदर्थ, अल्पकालिक, दैनिक मजदूरी, अस्थायी या स्थायी कर्मचारी के रूप में, नौकरी के लिए आवश्यक कोई विशेष योग्यता और इसी तरह के कई कारकों को बकाया वेतन के अनुदान के बारे में निर्णय लेने में तौला और संतुलित किया जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण कारक, जिस पर विचार किया जाना है, वह सेवा की अवधि है, जो

कामगार ने नियोक्ता के साथ की थी। यदि कामगार ने काफी अवधि की सेवा की है और उसकी सेवाओं को गलत तरीके से समाप्त किया गया है, तो उसे पूर्ण या आंशिक बकाया वेतन दिया जा सकता है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसकी आयु और उसकी योग्यता को देखते हुए वह दूसरी नौकरी पाने की स्थिति में नहीं हो सकता। हालांकि, जहाँ कामगार द्वारा की गई कुल सेवा की अवधि बहुत कम है, वहाँ समाप्ति की तारीख से अधिनिर्णय की तारीख तक की पूरी अवधि के लिए बकाया वेतन का अधिनिर्णय, जो हमारे अनुभव से अक्सर काफी बड़ा होता है, पूरी तरह से अनुचित होगा। एक और महत्वपूर्ण कारक, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह रोजगार की प्रकृति है। स्थायी कर्मचारी की नियमित सेवा की तुलना अल्प या आंतरायिक कर दैनिक मजदूरी रोजगार से नहीं की जा सकती, यद्यपि यह कैलेंडर वर्ष में 240 दिन हो सकती है।"

[देखें सेंट माइकल टीटीआई बनाम वी.एन. कारपागा मैरी और अन्य 2008 (6) स्केल 621]

यू.पी. एसआरटीसी लिमिटेड बनाम शारदा प्रसाद मिश्रा और अन्य [(2006) 4 एससीसी 733] में इस न्यायालय ने कहा:

"16. उपर्युक्त मामलों से, यह स्पष्ट है कि कोई सटीक सूत्र अपनाया नहीं जा सकता और न ही बाध्यकारी नियम प्रतिपादित किया जा सकता है कि

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पूर्ण बकाया वेतन के भुगतान की अनुमति कब दी जानी चाहिए। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। न्यायालय/न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण कठोर या यांत्रिक नहीं बल्कि लचीला और यथार्थवादी होना चाहिए। औद्योगिक विवादों के मामलों का निपटारा करने वालो न्यायालय या न्यायाधिकरण कर्मचारी के इस तर्क में बल पा सकता है कि उसकी सेवाओं की अवैध समाप्ति हुई है और इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि कार्रवाई कानून के अनुसार की गई है। ऐसे मामलों में स्पष्ट रूप से, कामगार सेवा में बहाली का हकदार होगा लेकिन बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में प्रश्न पहले प्रश्न से स्वतंत्र होगा कि सेवा में बहाली का हक है या नहीं। दूसरे प्रश्न पर विचार और निर्धारण करते समय, न्यायालय या न्यायाधिकरण उपरोक्त संदर्भित सभी संगत परिस्थितियों पर विचार करेगा और न्याय, साम्य और अत:करण के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, उचित आदेश पारित करेगा।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

नगरपालिका परिषद, सुजानपुर बनाम सुरिंदर कुमार [(2006) 5 एससीसी 173] में इस न्यायालय ने कहा:

"उपर्युक्त कानूनी त्रुटि के अलावा, हमारे विचार में, श्रम न्यायालय और परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से गलत दिशा अपनाई क्योंकि वे इस बात पर विचार करने में असफल रहे कि उक्त अधिनियम की धारा

11-ए के संदर्भ में दी जाने वाली अनुतोष विवेकाधीन प्रकृति की होने के कारण, श्रम न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों पर विचार करना आवश्यक था। केवल इसलिए कि पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाली के तरीके से अनुतोष प्रदान करना विधिक होगा, इसका अर्थ यह नहीं होगा कि वह स्वतः रूप से दी जाएगी।

उक्त प्रयोजन के लिए, नियुक्ति की प्रकृति, ऐसी नियुक्ति का उद्देश्य, कार्य की अवधि/कार्यकाल, यह प्रश्न कि क्या पद स्वीकृत था, संगत तथ्य होने के नाते, इन पर विचार किया जाना चाहिए।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. **मैसर्स पी.वी.के. डिस्टिलरी लिमिटेड बनाम महेंद्र राम**[3] में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया:

"21. मामले के लिए एक यथार्थवादी दृष्टिकोण देते हुए और इन सभी परिस्थितियों के बावजूद हम अपने आप को 50% कुल बकाया वेतन के 50% तक के प्रश्न तक सीमित कर रहे हैं। यद्यपि उत्तरवादी की सेवाओं को अनुचित और अवैध रूप से समाप्त किया गया है, यह स्वयं में पूर्ण रोजगार लाभ और पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाली का अधिकार प्रदान नहीं करता । सूचना इस दृष्टि से जारी की गई थी कि अपीलार्थी की फैक्ट्री को पूरी तरह से नए प्रबंधन द्वारा अधिग्रहीत किया गया है और अपीलार्थी को लंबे अंतराल के लिए पूरा बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए कहना अनुचित और

[3] 2009 AIR SCW 2904

अन्यायपूर्ण होगा। कामगार ने श्रम न्यायालय द्वारा पारित अधिनिर्णय को न्यायोचित ठहराने के लिए उपस्थिति नहीं दी है। इसलिए, हमारे विचार में, अपीलार्थी पर सेवा की निरंतरता के साथ और पूर्ण बकाया वेतन के साथ उत्तरवादी को बहाल करने का निर्देश देकर अत्यधिकभार डालना अनुचित होगा, क्योंकि अपीलार्थी की फैक्ट्री को बीमार घोषित किया गया था और कई वर्षों तक बंद रही थी और इसे पुनर्वास/पुनर्निर्माण करने के लिए मुख्य कार्यकारी निदेशक, श्री एम.के. पिलानिया के नेतृत्व में नए प्रबंधन को सौंपी गई थी।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. हस्तगत मामले के तथ्यों पर कानून के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, उत्तरवादी संख्या 2 निम्नलिखित आधारों पर बकाया वेतन के अनुदान का हकदार नहीं है:

(i) श्रम न्यायालय ने दावे की लंबितता के दौरान की गई नियुक्तियों और बीच में विराम पर विचार करके दिनांक 29 दिसम्बर, 1989 के निर्देश के दायरे से बाहर कार्य किया है।

(ii) उत्तरवादी संख्या 2 को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था, क्योंकि दिनांक 3 जून, 1989 को उत्तरवादी संख्या 2 को हटाने के बाद उसे पुनः दिनांक 1 जनवरी, 1990 से दिनांक 9 जून, 1993 तक नियुक्त किया

गया। इसके बाद, उत्तरवादी संख्या 2 कोपुनः दिनांक 27 जनवरी, 1994 को अस्थायी/दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त किया गया।

(iii) स्थायी कर्मचारी की नियमित सेवा की तुलना अल्प या आंतरायिक दैनिक मजदूरी रोजगार से नहीं की जा सकती यद्यपि यह कैलेंडर वर्ष में 240 दिन हो सकती है।

(iv) परिणामी 100% बकाया वेतन अपने आप नहीं दिया जाता है; यह विशेष मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।

15. उपरोक्त कारणों से, दिनांक 17 मार्च, 2001 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक – पी/6) जो श्रम न्यायालय, रायपुर द्वारा पारित किया गया था, उत्तरवादी संख्या 2 को बकाया वेतन के अनुदान की सीमा तक ख़ारिज किया जाता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. परिणामस्वरूप, रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Shaantam Patil